UPGK010043802026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1824/2026

संतोष कुमार सिंह पुत्र बांकेलाल सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, पेशा मानदेय शिक्षक, साकिन सम्मय थान पड़ौली, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर (उ०प्र०)।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–1095/2023
सत्र वाद संख्या–1238/2025
अंतर्गत धारा–406,504,506 भा०दं०सं०
व धारा 3(1) द, ध एवं धारा 3(2)(5ए) SC/ST Act
थाना–पिपराईच, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक–18–06–2026

आवेदक/अभियुक्त **संतोष कुमार सिंह** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

सक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्यामसुन्दर पुत्र लालचन्द से सन्तोष कुमार सिंह पुत्र बांकेलाल सिंह ग्राम–समय का थान, भीटी, थाना–बड़हलगंज, जिला– गोरखपुर ने अपनी गाड़ी मारूती ब्रेजा UP–53–CD–0238 को मु0–2,00000/–रू0 में विक्रय कर दिया। प्रार्थी ने सन्तोष सिंह को दिनाँक 10.05.2022 को एक वियरर चेक नं0–556332 मु0–1,00,000/–रु का पंजाब नैशनल बैंक शाखा पादरी बाजार, जिला–गोरखपुर का दिया व 1,00,000/–रू नगद दे दिया। सन्तोष सिंह ने उक्त कार प्रार्थी को दे दिया तथा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का कागजात व आधार कार्ड तथा सेल लेटर पर अपना हस्ताक्षर करके प्रार्थी को दे दिया। प्रार्थी द्वारा गाड़ी को ट्रान्सफर हेतु कागजात सक्षम कार्यालय में पेश किया गया तो पता चला कि गाड़ी पर पूर्व से फाइनेन्स है यह गाड़ी ट्रान्सफर नहीं हो सकता हैं। उक्त सन्तोष सिंह से प्रार्थी ने बताया तो नाराज होकर वे हाथा पाई करके उक्त गाड़ी जबरन लेकर प्रार्थी के घर से चले गये तथा धमकी दिया कि साले चमार की जाति रूपया और गाड़ी भूल जाओ नहीं तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्रार्थी से सन्तोष सिंह ने छल कपट व जालसाजी करके फर्जी सेल लेटर दिया तथा रूपया व गाड़ी हड़प लिया है तथा जान माल की धमकी भी दे रहा है। प्रार्थी ने स्थानीय थाने पर, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को पूर्व में भी प्रार्थना–पत्र दिया है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभियुक्त ने संज्ञेय अपराध कारित किया है कुटरचित अभिलेख व रूपये व कार की बरामदगी का साक्ष्य संकलित होना है जो विवेचना से ही सम्भव है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है तथा अभियोजन द्वारा लगाये गये अभियोग असत्य एवं निराधार है। प्रार्थी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं

किया है, जैसा कि अभियोजन द्वारा कहा गया है। कथित घटना की सूचना काफी विलम्ब से अंकित कराई गई है तथा इस विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी दर्ज नहीं है। प्रार्थी को मात्र हैरान व परेशान करने की नीयत से रंजिशन फर्जी कथानक के आधार पर अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी के पास वादी की कोई सम्पत्ति न्यस्त नहीं थी, इस प्रकार न तो वादी मुकदमा को व न ही उसके द्वारा कथित किसी व्यक्ति से प्रार्थी द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया गया है और न तो गाली देकर अपमानित किया गया है और न ही जान से मार डालने की धमकी दी गयी है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रति अभियोजित जुर्म दफा–406,504,506, भा०दं० सं० का अभियोग कदापि गठित नहीं होता है। प्रार्थी ने किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को न तो सार्वजनिक तौर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया है और न ही धारा–3(2)(5ए) Sc/St Act में यथा–परिभाषित आपराधिक कृत्य ही किया है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रति अभियोजित जुर्म दफात् धारा–3 (1) द, ध व 3(2) (5ए) Sc/St Act का अभियोग कदापि गठित नहीं होता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और प्रार्थी द्वारा दौरान विवेचना पूर्णतया सहयोग किया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध प्रपत्रों एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी पक्ष द्वारा मामले में शिकायत करने पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा गाली गुप्ता करने व जान माल की धमकी देते हुये जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाना तथा आपराधिक न्यास भंग किया जाना आक्षेपित है। । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत प्रकरण में अंतरिम जमानत पर हैं, जिसका उस के द्वारा दुरूप्रयोग नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **संतोष कुमार सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–1824/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रतीक्षा नागर)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O.Code–UP 02399

Digitally signed by PRATIKSHA NAGAR
Date: 2026.06.18 15:07:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court